पत्रांक : 5023 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जीएसटी दिनांक 11 /08/2017

विषय : जीएसटी से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

....

इस कार्यालय के पत्र संख्या 4813 / द0वि0वि0नि0लि0 / आ0 दिनांक 01.07.2017 द्वारा अवगत कराया गया था कि केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–22 एवं 25 के तहत दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के पैन सं0 **AACCD0695D** के अन्तर्गत एक ही रजिस्ट्रेशन होगा। इस क्रम में निगम मुख्यालय स्तर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 को GSTIN (जीएसटी नं0) **09AACCD0695D1ZS** निर्गत हुआ है जिसका प्रयोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीनस्थ सभी इकाइयों / खण्डों द्वारा क्रय–विक्रय आदि संव्यवहारों में किया जायेगा। इस सम्बन्ध में **दिनांक 1 जुलाई 2017** से प्रभावी जीएसटी अधिनियमों के अनुपालन में निम्नवत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें :–

<u>GST Registration</u>

1. निगम मुख्यालय स्तर पर दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के पैन सं0 **AACCD0695D** पर GSTIN (जीएसटी नं0) **09AACCD0695D1ZS** निर्गत हुआ है। इस GSTIN (जीएसटी नं0) का प्रयोग दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के अधीनस्थ सभी इकाइयों / खण्डों द्वारा किया जायेगा, अर्थात पूर्व में जहॉं माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के लिए TIN (VAT)/Service Tax Registration No. को प्रयोग में लाया जाता था वहॉं उक्त GSTIN (जीएसटी नं0) ही प्रयोग में लाया जायेगा तथा साथ ही वर्तमान में निगम में माल व सेवा प्रदाता सम्बन्धी सभी फर्मों को उक्त GSTIN (जीएसटी नं0) आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करना सुनिश्चित करें।

<u>Principal Place of Business and GST Nodal Officer</u>

2. **कार्यालय ज्ञाप सं0 4717 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा दिनांक** 14.06.2017 द्वारा **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा** को केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 के अन्तर्गत **"Principal Place of Business"** के रूप में पंजीकृत किया गया है तथा **अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा** को **जीएसटी नोडल अधिकारी / Authorized Signatory** के तौर पर अधिकृत किया गया है। साथ ही उनके द्वारा केन्द्रीय स्तर पर निष्पादित होने वाले जीएसटी सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन किया जायेगा एवं इस कार्यालय से जीएसटी सम्बन्धी समस्त पत्राचार **उचित माध्यम से** ई–मेल आई0डी0 **gstdvvnl@gmail.com** पर करना सुनिश्चित करें।

<u>Inclusion of Units/Sites/Store & Workshop Centers as Additional Place of Business</u>

3. इस कार्यालय के पत्रांक **4813 / द0वि0वि0नि0लि0 / आ0 / दिनांक 01/07/2017** के द्वारा अवगत कराया गया था कि निगम की सभी इकाईयों / खण्डों / स्टोर सेन्टरों को उक्त GSTIN (जीएसटी नं0) **09AACCD0695D1ZS** के अन्तर्गत ही GST Portal पर Additional Place of Business के रूप में जोड़ा जायेगा साथ ही यदि कोई नयी इकाई / खण्ड / सेन्टर रजिस्ट्रेशन के पश्चात खोला जाये तो उसकी

सूचना उक्त नयी इकाई/खण्ड/सेन्टर के खुलने के 15 दिनों के अन्दर निर्धारित प्रारूप में जीएसटी नोडल अधिकारी को परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रेषित करें जिससे उन इकाईयों/खण्डों/सेन्टरों को भी GST Portal पर Additional Place of Business में जोड़ा जा सके। ऐसा करना अनिवार्य है अन्यथा जो भी Unit/Site/Store Centres आदि GST Portal पर जुड़ने से छूट जाएंगे, उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा लेन–देन जीएसटी नियमों के अन्तर्गत अवैध माना जाएगा।

4. निगम की किसी भी इकाई/खण्ड द्वारा अपने स्तर पर केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 में **अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है** यदि करा लिया गया हो तो उसे निरस्त कराते हुए जीएसटी नोडल अधिकारी को सूचित करें।

5. <u>जीएसटी के दायरे में आने वाले संव्यवहार</u> :

1) <u>विद्युत का क्रय/विक्रय (Power Purchase/Sale)</u> : विद्युत का क्रय–विक्रय जीएसटी में पूर्णतया कर–मुक्त (Exempted) है।

2) <u>टेण्डर फार्म की बिक्री, स्क्रैप (Scrap) की बिक्री</u>:

टेण्डर फार्म की बिक्री पर वर्तमान में 5% जीएसटी (HSN Code 4901) लिया जाएगा। निविदा प्रपत्र की **बिक्री केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्मों को ही किया जाना है।** इसी प्रकार स्क्रैप की बिक्री पर वर्तमान में 18% जीएसटी लिया जायेगा, परन्तु Wood Waste & Scrap पर यह दर 5% है। ज्ञात हो कि उ0प्र0 में बिक्री वसूले गये जीएसटी में CGST(50%) एवं SGST (50%) की देयता होगी एवं उ0प्र0 के बाहर बिक्री पर IGST(100%) की देयता होगी। इस सम्बन्ध में खण्ड/इकाई/सेन्टर के स्तर से **Tax Invoice** जारी किया जायेगा। उक्त के सम्बन्ध में जीएसटी दरें निम्नवत् है :–

SI. No.	Particulars	उ0प्र0 के अन्दर बिक्री पर **Rate of CGST + SGST**	उ0प्र0 के बाहर बिक्री पर **Rate of IGST**
1.	Sale of Tender form	CGST @ 2.5% + SGST @ 2.5%	IGST @ 5%
2.	Sale of Scrap	CGST @ 9% + SGST @ 9%	IGST @ 18%

<u>Remittance of GST (Tax) to Executive Engineer (Admin)'s Bank Account:</u>

इकाईयों द्वारा Tender Form/Scrap की बिक्री की धनराशि (जीएसटी को छोड़ते हुए) वर्तमान में निगम मुख्यालय के जिन बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाती थी वह पूर्व की भांति हस्तान्तरित की जायेगी परन्तु प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री पर वसूले गये जीएसटी कर (5%/18%) की धनराशि आगामी माह की 03 तारीख तक निगम मुख्यालय के Executive Engineer (Admin) के **बैंक खाता संख्या 22390200000177** (IFS Code **BARB0LAWERS, Bank of Baroda, Lawyers Colony, Agra)** में अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी जिसका भुगतान मुख्यालय स्तर पर नामित अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन) द्वारा सरकार को ससमय किया जायेगा।

<u>Information to GST Cell:</u>

इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक GST Cell की ई–मेल आई0डी0 **gstdvvnl@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा ताकि मुख्यालय स्तर पर नामित जीएसटी नोडल अधिकारी द्वारा सरकार को ससमय विवरणी दाखिल की जा सके।

Format for Details of Sale of Tender Form

SI. No.	Unit Name	Tender No.	Buyer Firm's GSTIN	Reciept/ Invoice No.	Reciept/ Invoice Date	Tender Fees	Qty.	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	Invoice Value
1.											
2.											

Format for Details of Sale of Scrap												
Sl. No.	Unit Name	Tender No.	Buyer Firm's GSTIN	Invoice No.	Invoice Date	Tender Fees	HSN Code	Qty.	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	Invoice Value
1.												
2.												

Time Limit to furnish above Information to GST Cell:

इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में Tender Form/Scrap की बिक्री का उपरोक्त विवरण उक्त प्रारूप में **निम्नलिखित तिथि** तक GST Cell की ई–मेल आई0डी0 **gstdvvnl@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा:–

For the Month of	Last Date to submit information by units to GST Cell
July, 2017	16th August
August, 2017	8th September
September, 2017 एवं बाद के माह के लिए	अगले माह की 03 तारीख तक *जैसे:– सितम्बर माह के लिए 3 अक्टूबर*

Tax Invoice to be issued in respect of Sale of Tender Form/Scrap:

जीएसटी नियमों के अनुसार खण्ड/इकाई द्वारा **Sale of Tender Form/Scrap** करने पर **Tax Invoice** खण्ड/इकाई के स्तर से क्रमानुसार क्रमांकित (Serially Numbered) रूप से जारी किया जाना है। आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि **Sale of Tender Form/Scrap** के सम्बन्ध में उनके द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त बीजकों में **Tax Invoice** के लिए निर्धारित किये गये बिन्दु/सूचनाऐं शामिल होनी चाहिए। **Tax Invoice** में जो बिन्दु अनिवार्य हैं उनकी सूची **"Annexure-A.1"** में संलग्न है तथा **Tax Invoice** का प्रारूप **"Annexure-A.2"** में संलग्न है।

3) <u>वाह्य एजेन्सियों/फर्मों से क्रय की जाने वाली सामग्री/प्राप्त की जाने वाली सेवाएं:</u>

समस्त संव्यवहार केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड फर्मों से ही किया जाना चाहिए। वाह्य एजेन्सियों से क्रय की जाने वाली सामग्री एवं प्राप्त की जाने वाली सेवाएं निविदा के माध्यम से **Exclusive of GST** दर प्राप्त की जानी चाहिए। उक्त का प्रावधान प्रत्येक स्तर पर आमंत्रित की गई/आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में अनिवार्यता कर लिया जाये।

संविदा कर्मचारियों के सम्बन्ध में: खण्ड/इकाई/सेन्टर द्वारा जिन कॉन्ट्रेक्टर फर्मों के माध्यम से Manpower Supply/Security Services (सेवाऐं) प्राप्त की जा रही हैं उक्त फर्मों ने Service Tax से जीएसटी में Migration करा लिया होगा, अतः प्रत्येक उक्त फर्मों से भी उनका GSTIN (जीएसटी नं0) प्राप्त कर लिया जाये और सुनिश्चित करें कि **दिनांक 1 जुलाई 2017 या उसके पश्चात** उनके द्वारा जारी किये गये बिलों पर उनका GSTIN (जीएसटी नं0) अंकित हो जिससे जीएसटी की देयता उक्त फर्मों की ही होगी।

4) <u>वाह्य स्थायी एवं अस्थायी अग्रदाय **(PI/TI)**</u> :

समस्त आहरण–वितरण अधिकारी PI/TI के माध्यम से छुटकर खर्चे अनिवार्यता जीएसटी में **रजिस्टर्ड फर्मों** से ही किये जायें, अन्यथा की स्थिति में जीएसटी में Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत कर (जीएसटी) की देयता निगम की होगी।

6. Reverse Charge Mechanism (RCM) के दायरे में आने वाले संव्यवहार:

पूर्व में लागू सर्विस टैक्स व्यवस्था के अन्तर्गत कुछ सेवाऐं Specificied की गयी थी जिन पर ही RCM के तहत निगम को सर्विस टैक्स जमा कराना होता था किन्तु नयी कर व्यवस्था **जीएसटी नियमों के** अन्तर्गत कुछ Specified सेवाओं के साथ–साथ **अपंजीकृत फर्मों से प्राप्त सभी प्रकार की माल अथवा सेवाओं पर** RCM के तहत निगम को जीएसटी जमा कराना होगा। **जीएसटी नियमों के** अन्तर्गत दोनों प्रकार के RCM एवं औपचारिकताऐं निम्नवत हैः

6.1 केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–9(3) के अन्तर्गत माल अथवा सेवा की Specific List दी गई है जिन पर RCM के तहत माल अथवा सेवा के प्राप्तकर्ता को ही जीएसटी जमा कराना होगा चाहें माल अथवा सेवा प्रदाता पंजीकृत हो अथवा नहीं हो। उक्त Specific list के तहत निगम की देयता मुख्यतः दो सेवाओं पर ही होगी :

1) वकीलों से प्राप्त सेवा पर
2) Goods Transport Agency से प्राप्त सेवा पर

जिसकी जीएसटी दरें निम्नवत है

Sl. No.	Services	उ0प्र0 के अन्दर से प्राप्त सेवाओं पर **Rate of CGST + SGST**	उ0प्र0 के बाहर से प्राप्त सेवाओं पर **Rate of IGST**
1.	GTA Services	CGST @ 2.5% + SGST @ 2.5%	IGST @ 5%
2.	Legal Services from Advocates	CGST @ 9% + SGST @ 9%	IGST @ 18%

6.2 केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–9(4) के अन्तर्गत यदि पंजीकृत फर्म किसी भी **अपंजीकृत फर्म से किसी भी प्रकार की माल अथवा सेवा की आपूर्ति प्राप्त करती है तो** RCM के दायरे में रखा गया है अर्थात निगम द्वारा अपंजीकृत फर्मों से प्राप्त माल अथवा सेवा के सम्बन्ध में जीएसटी (Tax) की देयता निगम की ही होगी।

अतः जीएसटी के अन्तर्गत Work Contract Services, Manpower Supply/Security Services, Cab Services पर पूर्व Service Tax व्यवस्था की भॉति RCM का प्रावधान लागू नहीं होगा क्योकि ये सेवाऐं केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–9(3) के अन्तर्गत Specific List में फिलहाल नहीं आती है, परन्तु यदि ये अपंजीकृत फर्मों से प्राप्त की जाती है तो धारा–9(4) के तहत RCM के दायरे में आ जायेगी।

6.3 औपचारिकताऐं:

i. Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत किये गये प्रत्येक संव्यवहार के लिये खण्ड/इकाई/सेन्टर द्वारा दो प्रकार के Documents बनाये जायेगें जोकि क्रमागत क्रमांकित होगें:–

1) **Payment Voucher (PV):** *बिन्दु संख्या 6.1 अथवा 6.2 में किये गये संव्यवहारों के लिए i.e. Specified सेवाओं अथवा अपंजीकृत फर्मों से प्राप्त माल/सेवा के सम्बन्ध में।*

2) **Tax Invoice:** *केवल बिन्दु संख्या 6.2 में किये गये संव्यवहारों के लिए i.e. अपंजीकृत फर्मों से प्राप्त माल/सेवा के सम्बन्ध में।*

Tax invoice एवं Payment Voucher के प्रारूप **Annexure A.2** एवं **A.3** में संलग्न है।

ii. ***Remittance of GST (Tax) to Executive Engineer (Admin)'s Bank Account:***
खण्ड/इकाई/सेन्टर द्वारा Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत प्रत्येक माह में किये गये संव्यवहारों पर अपनी जीएसटी (Tax) देयता निकालकर उसके भुगतान हेतु *(Tender Form/Scrap की बिक्री पर वसूले गये जीएसटी की भाँति)* धनराशि आगामी माह की 03 तारीख तक निगम मुख्यालय के

Executive Engineer (Admin) के **बैंक खाता संख्या 22390200000177** (IFS Code **BARB0LAWERS, Bank of Baroda, Lawyers Colony, Agra)** में अनिवार्य रूप से उचित माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी जिसका भुगतान मुख्यालय स्तर पर नामित अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन) द्वारा सरकार को ससमय किया जायेगा।

iii. Information to GST Cell:

प्रत्येक माह में Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत किये गये संव्यवहारों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्धारित तिथि तक GST Cell की ई–मेल आई0डी0 **gstdvvnl@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा ताकि मुख्यालय स्तर पर नामित जीएसटी नोडल अधिकारी द्वारा सरकार को ससमय विवरणी दाखिल की जा सके।

Format for Details of Payments (बिन्दु नं0 6.1 के अन्तर्गत i.e.GTA/Legal Service)

SI. No.	Unit Name	Payment Voucher No.	Buyer Firm's GSTIN.	Payment Voucher Date	Qty.	HSN/ SAC Code	Payment Amount	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	PV Value
			If Registered								

Format for Details of Payments (बिन्दु नं0 6.2 के अन्तर्गत i.e. Purchase from Unregistered)

SI. No.	Unit Name	Payment Voucher No.	Payment Voucher Date	Qty.	HSN/ SAC Code	Payment Amount	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	PV Value

Format for Details of Tax Invoice (बिन्दु नं0 6.2 के अन्तर्गत)

SI. No.	Unit Name	Tax Invoice No.	Tax Invoice Date	Product/ Service Description	Qty.	HSN/ SAC Code	Taxable Amount	Amount of CGST	Amount of SGST	Amount of IGST	Tax Invoice Value

Time Limit to furnish above Information to GST Cell:

इकाईयों द्वारा प्रत्येक माह में Reverse Charge Mechanism (RCM) के अन्तर्गत किये गये संव्यवहारों का उपरोक्त विवरण उक्त प्रारूप में **निम्नलिखित तिथि** तक GST Cell की ई–मेल आई0डी0 **gstdvvnl@gmail.com** पर प्रेषित किया जायेगा:–

For the Month of	Last Date to submit information by units to GST Cell
July, 2017	16th August
August, 2017	8th September
September, 2017 एवं बाद के माह के लिए	अगले माह की 03 तारीख तक *जैसे:– सितम्बर माह के लिए 3 अक्टूबर*

7. **Rates of GST :**

जीएसटी के अन्तर्गत मुख्यतः 5 प्रकार की दरें निर्धारित की गयी हैं: 0%, 5%, 12%, 18% एवं 28%। सभी इकाईयों के आहरण–वितरण अधिकारी अपने स्तर पर प्राप्त होने वाले बीजकों में यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बीजकों पर उचित दर से GSTIN (जीएसटी नं0) देते हुए जीएसटी लगाया गया हो। चूंकि सामान्यतः निगम को माल अथवा सेवा के बीजक में लगे जीएसटी का टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा और वो लागत

का हिस्सा बन जायेगा इसीलिए किसी भी बीजक पर निर्धारित दर से अधिक दर पर लगा जीएसटी अनावश्यक रूप से माल अथवा सेवा की लागत का हिस्सा बन निगम पर अतिरिक्त भार बन जायेगा। GST Rates की जानकारी निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है जहाँ से इसे सत्यापित/प्राप्त किया जा सकता है :

वस्तुओं हेतु:–http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/goods-rates-booklet-03July2017.pdf
सेवाओं हेतु:–http://www.cbec.gov.in/htdocs-cbec/gst/services-booklet-03July2017.pdf

8. **Anti Profiteering Clause** :

CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जीएसटी लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः खण्ड/इकाई सुनिश्चित करेंगी कि पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

"As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to DVVNL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section."

9. जीएसटी–टी0डी0एस0 :

केन्द्रीय जीएसटी अधिनियम–2017 की धारा–51 (2 प्रतिशत टी0डी0एस0 का प्रावधान) अभी लागू नहीं हुआ है। अतः इकाइयों/खण्डों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2017 से कराये जाने वाले कार्यों के भुगतान पर उक्त धारा के तहत फिलहाल टी0डी0एस0 की कटौती नहीं की जानी है। केवल आयकर अधिनियम–1961 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

10. **विविध बिन्दु :–**

a) CBDT द्वारा जारी किये गये Circular No. 23/2017 दिनांक 19.07.2017 के अनुसार आयकर के प्रावधानों के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती की जायेगी परन्तु उसमें जी0एस0टी0 की धनराशि जोड़ कर कटौती नहीं की जायेगी। (उक्त Circular की छायाप्रति **Annexure B** में संलग्न है।)

b) इकाईयाँ/खण्ड एवं कार्यालयों के लिए यह उचित होगा कि निगम का जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन नं0 **09AACCD0695D1ZS** निगम के Letter Head पर उल्लिखित किया जायें।

11. जीएसटी से सम्बन्धित किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु पा0का0लि0 कर सलाहकार मेसर्स धर्मेन्द्र श्रीवास्तव एण्ड एसोसिएटस एवं जीएसटी सैल मुख्यालय के अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है जिनके दूरभाष नं0, ई0मेल0 आई0डी0 निम्नलिखित है:

M/s Dharmendra Srivastava & Associates	dharmendraca2009@gmail.com	9839037675/ 9939495122
GST Cell Head Office, Lucknow	dgmtaxuppcl@gmail.com aogstuppcl@gmail.com	9415608155 9454468967

12. उप महाप्रबन्धक, कारपोरेट टैक्स, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक 03/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक 10.08.2017 (छायाप्रति संलग्न), जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 5012/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 11.08.2017 के साथ संलग्न कर प्रेषित किया है, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पूर्व सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दिये गये हैं इन दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

13. मुख्यालय स्थित जीएसटी सैल द्वारा निर्गत किये जाने वाले समस्त दिशा–निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

संलग्नक :– यथा उपरोक्त

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 5023 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / जीएसटी तद्दिनांक 11/8/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त) / (तकनीकि) / (वाणिज्य) / (का0प्र0 एवं प्रशा0), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झांसी / बांदा।
3. मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध–1 / सामग्री प्रबन्ध–2) / (तकनीकि) / (वाणिज्य), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा।
5. उप महाप्रबन्धक (लेखा) / उप मुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा / अलीगढ़ / कानपुर / झांसी।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
7. अधिशासी अभियन्ता (प्रशासन), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा को विभागीय वेबसाइट (www.dvvnl.org) पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित

(एस0 के0 वर्मा)
प्रबन्ध निदेशक

Annexure A.1

GST Tax Invoice Format Rules:

A tax invoice shall be issued by the supplier containing the following details:-

a. name, address and GSTIN of the supplier;

b. a consecutive serial number containing only alphabets and/or numerals, unique for a financial year;

c. date of its issue;

d. name, address and GSTIN/ Unique ID Number, if registered, of the recipient;

e. name and address of the recipient and the address of delivery, along with the name of State and its code, if such recipient is unregistered and where the taxable value of supply is fifty thousand rupees or more;

f. HSN code of goods or Accounting Code of services;

g. description of goods or services;

h. quantity in case of goods and unit or Unique Quantity Code thereof;

i. total value of goods or services;

j. taxable value of goods or services taking into account discount or abatement, if any;

k. rate of tax (CGST, SGST or IGST)

l. amount of tax charged in respect of taxable goods or services (CGST, SGST or IGST);

m. place of supply along with the name of State, in case of a supply in the course of inter-State trade or commerce;

n. place of delivery where the same is different from the place of supply;

o. whether the tax is payable on reverse charge;

p. the word "Revised Invoice" or "Supplementary Invoice", as the case may be, indicated prominently, where applicable along with the date and invoice number of the original invoice; and

q. signature or digital signature of the supplier or his authorized representative.

Annexure A.2

Company Logo	**(NAME OF COMPANY)** **(ADDRESS OF UNIT)** **Tel:** **GSTIN:**

Tax Invoice

Invoice No:			Transport Mode:
Invoice date:			Vehicle number:
Reverse Charge (Y/N):			Date of Supply:
State:	Code		Place of Supply

Bill to Party			Ship to Party	
Name:			Name:	
Address:			Address:	
GSTIN:			GSTIN:	
State:	Code		State:	

S. No.	Product Description	HSN code	Qty	Rate	Amount	Discount	Taxable Value	CGST		SGST		IGST		Total
								Rate	Amount	Rate	Amount	Rate	Amount	
Total														

Total Invoice amount in words	
	Total Amount before Tax
	Add: CGST
	Add: SGST
	Total Tax Amount
	Total Amount after Tax:

Bank Details		GST on Reverse Charge
Bank A/C:		Ceritified that the particulars given above are true and correct
Bank IFSC:		For (Name of Company)
Terms & conditions		
	Common Seal	Authorised signatory

Annexure A.3

(NAME OF COMPANY)

(ADDRESS OF UNIT)

Company Logo

Tel:

GSTIN:

Payment Voucher

Voucher Number:		Details Of Supplier	
Voucher Date:		Name:	
Place of Supply:		Address:	
		GSTIN:	
State:	Code	State:	Code

Description of Product/Service	HSN Codes	Taxable Value	CGST		SGST		Total Amount Paid
			Rate	Amount	Rate	Amount	
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
Total		0		0		0	0

Total Amount paid (In words)

Ceritified that the particuler given above are ture and correct		Total Amount before tax	0
For (Name of Company)		Add: CGST	0
		Add: SGST	0
		Total Tax Amount (GST)	0
Authorised Signatory	Common Seal	Total Amount After Tax	0

" ANNEXURE- B "

CIRCULAR No. 23 / 2017

F. No. 275/59/2012-IT (B)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Finance/ **वित्त मंत्रालय**
Department of Revenue/**(राजस्व विभाग)**
Central Board of Direct Taxes/(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

North Block, New Delhi
19th July, 2017

Subject: Modification of Circular No. 1 of 2014 in view of substitution of Service Tax by Goods and Services Tax (GST).

The Central Board of Direct Taxes (the Board) had earlier issued Circular No. 1/2014 dated 13.01.2014 clarifying that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the Service Tax component comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Income-tax Act, 1961 (the Act) on the amount paid or payable without including such Service Tax component.

2. References have been received in the Board seeking clarification as to what treatment would be required to be given to the component of Goods and Services Tax (GST) on services, which has been introduced by the Government with effect from 1st of July, 2017 and into which the erstwhile Service Tax has been subsumed.

3. The matter has been examined. It is noted that the Government has brought in force a new Goods and Services Tax regime with effect from 01.07.2017 replacing, amongst others, the Service Tax which was being charged prior to this date as per the provisions of Finance Act, 1994. Therefore, there is a need to harmonize the contents of Circular No.1/ 2014 of the Board with the new system for taxation of services under the GST regime.

4. In the light of the fact that even under the new GST regime, the rationale of excluding the tax component from the purview of TDS remains valid, the Board hereby clarifies that wherever in terms of the agreement or contract between the payer and the payee, the component of 'GST on services' comprised in the amount payable to a resident is indicated separately, tax shall be deducted at source under Chapter XVII-B of the Act on the amount paid or payable without including such 'GST on services' component. GST for these purposes shall include Integrated Goods and Services Tax, Central Goods and Services Tax, State Goods and Services Tax and Union Territory Goods and Services Tax.

5. For the purposes of this Circular, any reference to 'service tax' in an existing agreement or contract which was entered prior to 01.07.2017 shall be treated as 'GST on services' with respect to the period from 01.07.2017 onward till the expiry of such agreement or contract.

6. Hindi version shall follow.

(Sandeep Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tele: 23094182
Email: Sandeep.singh68@nic.in

Copy to:

1. Chairman and all Members of CBDT.
2. All Principal Chief Commissioners and Principal Directors General of Income Tax.
3. Pr. DGIT (Systems) and Pr. DGIT (Admin.).
4. All Joint Secretaries and Commissioners in CBDT.
5. Additional Directors General (TPS-I) and (PR,PP&OL).
6. Commissioner (CPC-TDS).
7. Web Managers of irsofficersonline.gov.in and incometaxindia.gov.in for placing the Circular on the respective portal.
8. Office of Comptroller & Auditor General of India (30 copies).
9. Guard file.

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-282007)

CIN: U31200UP2003SGC027460 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

पत्रांक 5012/द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी दिनांक 11/08/2017

विषय :– पूर्व सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

मुख्य अभियन्ता (वि0)/(सामग्री प्रबन्ध–1/सामग्री प्रबन्ध–2)/(तकनीकि)/(वाणिज्य)/(जानपद),
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी/बाँदा

//

अधीक्षण अभियन्ता (भण्डार)/
अधिशासी अभियन्ता (विद्युत भण्डार खण्ड)
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
आगरा/अलीगढ़/कानपुर/झाँसी

कृपया उपरोक्त विषयक उप महाप्रबन्धक, कारपोरेट टैक्स, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के पत्रांक 03/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 दिनांक 10.08.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से पूर्व सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जीएसटी से सम्बन्धित दिशा–निर्देश दियें गये हैं इन दिशा–निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथा उपरोक्त

(के0 सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

पत्रांक /द0वि0वि0नि0लि0/आगरा/जीएसटी तददिनांक

प्रतिलिपि उपरोक्त संलग्नक सहित निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

संलग्नक : यथा उपरोक्त

(के0 सी0 पाण्डेय)
निदेशक (वित्त)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928

कारपोरेट टैक्स (जी0एस0टी0 सैल) Corporate Tax (GST CELL)

द्वितीय तल, शक्ति भवन विस्तार, 14—अशोक मार्ग, लखनऊ—226001, रैक्स— 8270, 8257

IInd Floor, Shakti Bhawan Ext., 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, E-mail - dgmtaxuppcl@gmail.com

पत्र सं0: 03 / उ0प्र0पा0(टैक्स) / जी0एस0टी0 सैल / 2017—18 दिनांक: 10.08.2017

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

विषयः— पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों पर जी0एस0टी0 से सम्बन्धित दिशा—निर्देश

जैसा कि विदित है दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 लागू हो गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में सम्पादित आपूर्ति एवं टर्नकी आधार पर किये गये अनुबन्धों जिसमें 01.07.2017 से पूर्व में लागू ईडी / सेल्स टैक्स / वैट तथा कन्सेशनल फार्म—सी दिये जाने का प्रावधान था, उन पर जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत निम्नलिखित दिशा—निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है :—

1. **Orders where price quoted are exclusive of taxes-**
   ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु एक्सवर्कस दरें पैकिंग एवं फारवर्डिंग भाड़ा एवं बीमा आदि की दरें अनुबन्धों / क्रयादेशों में अंकित की गयी थी एवं यह प्रावधान था कि इनपर (एक्सवर्कस दरों + पैकिंग एवं फारवर्डिंग को जोड़कर) लागू ई0डी0 एवं सेल्सटैक्स अलग से वास्तविक दरों पर देय होता था। वर्तमान में जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् इस प्रकार के अनुबन्धों में एक्सवर्कस दरें + पैकिंग फारवर्डिंग + भाड़ा एवं बीमा को जोड़कर उस पर जी0एस0टी0 की देयता होगी।

   ज्ञात हो कि वर्तमान व्यवस्था में समग्र आपूर्ति (Composite Supply) की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसके अन्तर्गत पैकिंग, फारवर्डिंग, भाडा एवं बीमा इत्यादि पर भी जी0एस0टी0 लागू होगा।

2. **Orders where price quoted are inclusive of taxes-**
   ऐसे अनुबन्ध जहां पूर्व में सामग्री की आपूर्ति हेतु दरें सभी टैक्स व दरों को सम्मिलित कर प्राप्त की गयी थी, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता से टैक्स व दरों का ब्रेकअप ले लिया जाए एवं पुराने टैक्स के स्थान पर जी0एस0टी0 लगा कर दरें परिवर्तित कर ली जायें।

ऐसे अनुबन्ध जहां टैक्स व दरों का ब्रेकअप लिया जाना सम्भव नहीं है, इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता को Counter offer दिया जाना उचित होगा जिसमें पुराने अनुबन्धों के अनुसार FOR destination price को Freeze करते हुए उस पर जी0एस0टी0 के भाग को लागू दरों पर गणना कर unload कर दिया जाए। इस प्रकार निगम पर कोई अतिरिक्त देय नहीं आएगा।

उदाहरण के तौर पर –

जी0एस0टी0 लागू होने से पूर्व		
– **आपूर्ति राशि (सभी करों सहित)**		₹ 100.00
जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात्		
– जी0एस0टी0 की दर	18 %	
– आपूर्ति राशि (Excluding GST)	$\frac{100}{118\%}$	₹ 84.75
– Add: जी0एस0टी0 @18%		₹ 15.25
– **कुल आपूर्ति राशि (जी0एस0टी0 सहित)**		₹ 100.00

आपूर्तिकर्ता द्वारा काउन्टर ऑफर स्वीकार न करने की स्थिति में उनके साथ किये गये अनुबन्धों को शार्ट क्लोज करना एवं उनको क्रयादेशित अवशेष मात्रा को न्यूनतम दर में देने वाले अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों से क्रय करना उचित होगा।

3. ऐसे अनुबन्ध जहां में केन्द्रीय सेल्सटैक्स के नियमों के अनुसार फार्म–सी देने का प्रावधान था, जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात् फार्म–सी की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। अतः तदानुसार अनुबन्धों में संशोधन आवश्यक होगा।

4. Anti profiteering clause : CGST अधिनियम 2017 की धारा 171 के अनुसार जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात कर की दरों में आई कमी का लाभ विक्रेता द्वारा क्रेता को मूल्यों में कटौती के रूप में दिया जाना है। अतः पूर्व में निर्गत निविदाएं (जिनकी अवधि 01.07.2017 के पश्चात पूरी होगी) एवं नयी निविदाओं में निम्नलिखित Anti profiteering clause जोड़ा जाना चाहिए :

"As per section 171 of CGST Act 2017, Any reduction in rate of tax on any supply of goods or services or the benefit of input tax credit shall be passed on to the recipient by way of commensurate reduction in prices. Hence supplier/manufacturer to ensure to pass the benefit of reduced prices to UPPCL/UPPTCL. Further price quoted by supplier/manufacturer is subject to scrutiny under above section."

5. खण्ड/इकाईयां सुनिश्चित करेंगी कि जी0एस0टी0 लागू होने के कारण फर्मों द्वारा जी0एस0टी0 में पंजीकरण के उपरान्त जी0एस0टी0 प्रावधानों के अनुसार जो बीजक प्राप्त हो उन्हें पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों एवं उपरोक्तानुसार पारित किये जाये।

10/8/2017

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)

पत्र सं0: 03/उ0म0प्र0(टैक्स)/जी0एस0टी0 सैल/2017–18 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1– निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के आधार पर सम्बन्धित निगमों में लागू किये जाने हेतु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेंगे।

2– मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

3– उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ।

4– उप महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (निधि), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।

5– उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।

6– अनु सचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

7– अधिशाषी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

19/8/2017

(प्रभात कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक
(कारपोरेट टैक्स)